

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>नटवरसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 385/2021</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>01-02-2022</p>	<p>अपीलार्थी नटवरसिंह पता राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.11.2021 में उसके द्वारा (1) आवेदक द्वारा दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग ग्राम हरियाढाणा, में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में आप श्रीमान् द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति मय परिवाद व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 126 दिनांक 18.01.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/लो.सुअ./2022/57 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा सामान्य डाक से प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	